BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
OA NO. 77/2020 & OA NO. 07/2018

IN THE MATTER OF:

PETITIONER: Aarya Shrivastava
M.Y CHAUDHARY

//VERSUS//

RESPONDENTS: Union of India & Ors.
BMC & Ors

INDEX

Sl.	Particulars	Annexure	Page No.
01	ACTION TAKEN REPORT CUM COMPLIANCE OF ORDER DATED 28/02/2022		1-7
02	Affidavit		8
03	Copy of the consolidated status report	ANNEXURE-A	9-12
04	Copy of the information provided by the Bhopal Municipal Corporation	ANNEXURE-I	13-19
05	The details of existing STPs in RO Bhopal in tabular form.	ANNEXURE-II	20-21
06	Copy of the order dated 16/03/2022	ANNEXURE-III	22-29
07	Copy of order Dated 09/03/2022	ANNEXURE-IV	30-31
08	Minutes of meeting dated 08/07/2022	ANNEXURE-V	32-35

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS

THROUGH;

Place: BHOPAL **(SACHIN K. VERMA)**

Date: 22/07/2022 **COUNSEL FOR THE RESPONDENTS**

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
OA NO. 77/2020 & OA NO. 07/2018

IN THE MATTER OF:

PETITIONER: Aarya Shrivastava
M.Y CHAUDHARY

//VERSUS//

RESPONDENTS: Union of India & Ors.
BMC & Ors

ACTION TAKEN REPORT CUM COMPLIANCE OF ORDER DATED 28/02/2022

The Respondent State most respectfully submits as follows:-

1. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 28/02/2022 directed the Government of Madhya Pradesh to file consolidated action taken report mentioning about the steps taken by various authorities for removal of encroachments.

2. In compliance to the direction passed by Hon'ble Tribunal a meeting was conducted on 17/03/2022 by officers of the Nagar Nigam Bhopal, State Wetland Authority & MPPCB and further on 08/07/2022 by the District Administration Bhopal whereby point-wise action taken by the concerned department have been discussed in detail and accordingly the point wise status with reference to the directions passed by the Hon'ble Tribunal have been specified in the status report. The copy of the consolidated status report is marked and filed as **ANNEXURE-A**

3. The point wise status of the directions passed by the Hon'ble Tribunal vide its order dated 28/02/2022 are as follows:-

I. ***Sewage Treatment and utilization, including in situ remediation.***

The officials of the Bhopal Municipal Corporation have provided the information with respect to the above subject and the information provided by the officials are quoted below:-

1. The sewage collection, treatment and disposal of Bhopal city is covered under AMRUT-1 (Sewage) project to prevent the sewage flow into the lake and river catchments.

2. The total cost of the AMRUT-1 Project is 442 crore and the works involves under this projects are renovation of existing sewerage system, laying of new sewer-line, construction of sewage pump house and sewage treatment plants.

3. The AMRUT-1 is mainly consisting of three projects based on the catchment area covered under the scheme. The details are as under:-

1. Shahpura Project
2. Bhoj Wetland Project
3. Kolar Project.

The details of work covered under the three projects are mentioned below in tabular form:-

1) <u>Shahpura Project (Cost-135 Crore):-</u>

No.	Particulars	Unit	Location	Capacity
01	Sewage Treatment Plant	04 nos.	a) ChaarImaly	4.5 MLD
			b) Jamuniya cheer	3.5 MLD
			c) Neelbad	6.0 MLD
			d) Bansal Hospital	9.50 MLD
02	Sewage Pump House	13 nos.		
03	Sewerage Network	100Km.	-	-

(3)

2) Bhoj Wetland Project (Cost- 145 Crore):-

No.	Particulars	Unit	Location	Capacity
01	Sewage Treatment Plant	03 nos.	a) Shrine Naala	5.0 MLD
			b) Professor Colony	2.0 MLD
			c) MaholiDhamkheda	35 MLD
02	Sewage Pump House	06 nos.	-	-
03	Sewerage Network	52 Km.	-	-
04	Renovation of existing Sewage Pump House	15 nos.	-	-

3) Kolar Project (Cost-162 Crore):-

No.	Particulars	Unit	Location	Capacity
01	Sewage Treatment Plant	02 nos.	a) Sankhedi	32 MLD
			b) Maksi	20.50 MLD
02	Sewage Pump House	08 nos.	-	-
03	Sewerage Network	168Km.	-	-

4. The work completed under the project includes the construction of 27 sewage pumping stations, renovation of 15 sewage pumping stations, construction of 9 sewage treatment plant sand laying of sewerage network of 320 Km length.

5. Presently 30000 households sewage connection with sewerage network are completed and 18000 houses sewage connection are under progress. In this way total 1,26,000 houses sewage connection are connected with sewerage network.

(4)

6. Approximately 45 percent of the Bhopal city is covered under the sewerage network in which sewage is collected through sewerage system and conveyed to the corresponding STP.

7. The remaining part of the Bhopal city will be covered under AMRUT-2.0 for which the work of DPR preparation is in progress. The cost of the DPR is 950 Crore.

The copy of the information provided by the Bhopal Municipal Corporation is marked and enclosed herewith as **ANNEXURE-I**

II. *Interception and diversion of sewage/Sullage drains to STP and returning completely treated water for recharging of water bodies to maintain water levels, maintaining water quality.*

The officials of the Bhopal Municipal Corporation

(ANNEXURE -I)

have provided the information with respect to the above subject and the information provided by the officials are quoted below:-

1. The sewerage network is laid down in the various part of the Bhopal city to intercept the sewage flow before discharging into Upper lake, Lower lake, Siddiki Hasan Talab, Motia Talab, Baagh Munshi Hussain Talab, Shahpura Talab and river Kaliasot and diverted it to STPs.

2. Out of 68 drains 57 numbers of drains are intercepted and diverted through sewage network to the STPs. Now remaining 11 drains will be intercepted under the AMRUT -2.0 (Sewage) Scheme of the Central Government at the earliest in Bhopal city.

3. Presently 17 nos. sewage treatment plants are operative. The details of existing STPs in RO Bhopal are marked and enclosed herewith as **ANNEXURE-II**

4. Sewage being treated as per the CPCB norms and treated water has utilized in flushing, gardening, agriculture purpose, fire brigade and road sweeping.

(5)

III. ***Maintaining flood plain level of lakes free from any further encroachments and removing existing encroachments, as per directions given above, to enforce the law of the land.***

The officials of the State Wetland Authority & Bhopal Municipal Corporation have provided the information with respect to the above subject and the information provided by the officials are quoted below:-

1. The flood plain levels of Upper lake as full tank level (FTL) and zone of influence (ZOI) are described in Environment Department, Government of Madhya Pradesh vide order dated 16/03/2022. The copy of the order dated 16/03/2022 is marked and enclosed herewith as **ANNEXURE-III**

2. As per information provided by Nagar Nigam Bhopal action is being taken to restrict any further encroachment by running anti encroachment drive time to time.

3. Nagar Nigam Bhopal has identified 227 nos. of encroachments in upper lake catchment area near Bhadbhada. For shifting these habitants from the present location, BMC has offered the houses in the "housing for all" scheme of the Government of India to these residents but they refused the offer by saying that the land belong to Waqf Board. BMC is pursuing with Waqf board and SDM T.T. Nagar to certify ownership of the disputed encroached land. The matter of removal of these encroachments by BMC and District Administration is in progress. The copy of correspondence with Waqf board and SDM T.T. Nagar Bhopal is marked and enclosed herewith as (**ANNEXURE-I**)

IV. ***Regular monitoring mechanism to oversee the progress of execution in tandem with State Level Wetland Authority***

The officials of the State Wetland Authority & Bhopal Municipal Corporation have provided the information with respect to the

above subject and the information provided by the officials are quoted below:-

1. To comply with the instructions of Hon'ble NGT, an interdepartmental Committee under the chairmanship of collector Bhopal is constituted by State .This committee will regularly review the progress of compliance of instructions given by Hon'ble NGT. The Committee has representation from Bhopal Nagar Nigam, State Wetland Authority, MPPCB, EPCO, Chief Medical Officer Bhopal District, Public Health Engineering. Department and SDMs of Bhopal District. The committee will work in tandem with the State Wetland Authority and Wetland Conservation Rules 2017.The copy of order Dated 09/03/2022 is marked and enclosed herewith as **ANNEXURE-IV**

2. It is also submitted that to conserve and protect lakes and wetlands, GoMP Department of Environment has constituted District Wetland Conservation Committees. These committees will work under the overall guidance of State Wetland Authority.

3. GoMP has also issued a detailed order delineating the Bhoj wetland boundary, FTL and 50 meters boundary and defining the Zone of Influence. Based on these and as per the Wetland Rules and subsequent Guidelines issued by MoEF&CC, Prohibited, Regulated and Permitted activities have been identified and announced.

4. The Lake Conservation Cell of Municipal Corporation Bhopal, regularly monitoring and taking action to prevent encroachment within 50 meters from the FTL. Continuous cleaning of the lakes and removing of silt from drains, plantation around periphery of lake and operation of fountains to maintain the ecosystem of lake. The interdepartmental officers meeting organized on dated 08/07/2022 in the presence of Deputy Collector minutes of meeting is marked and enclosed herewith as **ANNEXURE R-V**

(7)

V. ***Steps for mass awareness, involving citizens in conservation programme.***

For creating mass awareness among the citizens towards the conservation of water bodies of state various activities are being performed. The details are quoted below:-

1. The water quality parameters of different water bodies of state are being displaying through LED display board at various locations of state by MPPCB for public observation. Water quality monitoring data are also available on web portal www.mppcb.nic.in.

2. Special mass awareness programs are conducted to aware the public not to immerse the idols into the water bodies during Murti Visarjan occasion. Also as per the guidelines of CPCB separate ponds are constructed for immersion of idol during Murti Visarjan to prevent the water pollution in water bodies.

3. MPPCB conducted special awareness program and exhibitions during festivals and melas organized on the banks of rivers.

4. Sign boards are placed along the periphery of water bodies for the mass awareness.

4. The action taken report/compliance of order dated 28/02/2022 may kindly be taken on record. The State Government of Madhya Pradesh has duly ensured the compliances to directions of this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit.

5. An affidavit in support is filed herewith.

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS

THROUGH;

Place: BHOPAL

Date: 22/07/2022

(SACHIN K. VERMA)

COUNSEL FOR THE RESPONDENTS

(8)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
OA NO. 77/2020 & OA NO. 07/2018 (CZ)

IN THE MATTER OF:

PETITIONER: Aarya Shrivastava & M.Y. CHAUDHARY

//VERSUS//

RESPONDENTS: Union of India & Ors. & BMC & ORS.

AFFIDAVIT

I, Suresh Sejkar, Aged about 59 years, S/o Shri G.R. Sejkar posted as Superintendent Engineer, Urban Administration and Development Department Bhopal O/o Directorate Palika Bhawan Shivaji Nagar (M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I have been appointed as Officer In-charge to represent this case on behalf of Respondent state as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2 That the accompanying compliance/action taken report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying compliance/action taken report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 22nd day of JULY 2022 at Bhopal (M.P)

IDENTIFIED BY ME

DEPONENT

भोपाल शपथ आयुक्त

सुभाष चन्द्र उपाध्याय
शपथ आयुक्त, भोपाल

22/7/2022

सुभाष चन्द्र उपाध्याय
शपथ आयुक्त, भोपाल

ANNEXURE - A

(9)

Status Report

Subject: Status report in compliance of the order passed by Hon'ble NGT Central Zone Bench, Bhopal on dated 28.02.2022 in case No. OA 07/2018 (M.Y.Chaudhary V/s Bhopal Municipal Corporation & Ors) with 77/2020 (Ms. Aarya Shrivastava V/s Union of India & Ors.)

With reference to the above case Hon'ble NGT has passed an order on dated 28.02.2022 and instructed the concern departments to submit the action taken report on the following points:-

1. Sewage treatment and utilization, including in-situ remediation.
2. Interception and diversion of sewage/Sullage drains to STP and returning completely treated water for recharging of water bodies to maintain water levels, maintaining water quality.
3. Maintaining flood plain level of lakes free from any further encroachments and removing existing encroachments, as per directions given above, to enforce the law of the land.
4. Regular Monitoring mechanism to oversee the progress of execution in tandem with State Level Wetland Authority.
5. Steps for mass awareness, involving citizens in conservation programme.

In view of above direction, a meeting of officers of concern departments has been organized on dated 17.03.2022 and on dated 08.07.2022 by the District administration Bhopal. The officers of Nagar Nigam Bhopal, State Wetland Authority& MPPCB Bhopal have attended the meeting.In the meeting the point wise action taken by the concern departments in reference to the above direction are discussed and as per the information provided by the concerned departments, the present status is given as under:

Point no. 01:- Sewage treatment and utilization, including in-situ remediation

In reference to the Sewage treatment and utilization, including in-situ remediation, Bhopal Municipal Corporation has submitted information and the copy is enclosed as **Annexure-1**. As per the information submitted by BMC the main points are as under:-

1. The sewage collection, treatment and disposal of Bhopal city is covered under AMRUT-1 (Sewage) project to prevent the sewage flow into the lake and river catchments.
2. The total cost of the AMRUT-1 Project is 442 crore and the works involves under this projects are renovation of existing sewerage system, laying of new sewer line, construction of sewage pump house and sewage treatment plants.
3. The AMRUT-1 is mainly consist of three projects based on the catchment area covered under the scheme. The details are as under:-
   1. Shahpura Project
   2. Bhoj Wetland Project
   3. Kolar Project.

The details of work covered under these three projects are as under:-

1) Shahpura Project(Cost-135 Crore):-

No.	Particulars	Unit	Location	Capacity
01	Sewage Treatment Plant	04 nos.	a) Chaarlmaly	4.5 MLD
			b) Jamuniya cheer	3.5 MLD
			c) Neelbad	6.0 MLD
			d) Bansal Hospital	9.50 MLD
02	Sewage Pump House	13 nos.		
03	Sewerage Network	100Km.	-	-

2) Bhoj Wetland Project (Cost- 145 Crore):-

No.	Particulars	Unit	Location	Capacity
01	Sewage Treatment Plant	03 nos.	a) Shrine Naala	5.0 MLD
			b) Professor Colony	2.0 MLD
			c) Maholi Dhamkheda	35 MLD
02	Sewage Pump House	06 nos.	-	-
03	Sewerage Network	52 Km.	-	-
04	Renovation of existing Sewage Pump House	15 nos.	-	-

3) Kolar Project (Cost-162 Crore):-

No.	Particulars	Unit	Location	Capacity
01	Sewage Treatment Plant	02 nos.	a) Sankhedi	32 MLD
			b) Maksi	20.50 MLD
02	Sewage Pump House	08 nos.	-	-
03	Sewerage Network	168Km.	-	-

4. The work completed under the project includes the construction of 27 sewage pumping stations, renovation of 15 sewage pumping stations, construction of 9 sewage treatment plant sand laying of sewerage network of 320 Km length.
5. Presently 30000 households sewage connection with sewerage network are completed and 18000 houses sewage connection are under progress. In this way total 1,26,000 houses sewage connection are connected with sewerage network.
6. Approximately 45 percent of the Bhopal city is covered under the sewerage network in which sewage is collected through sewerage system and conveyed to the corresponding STP.
7. The remaining part of the Bhopal city will be covered under AMRUT-2.0for which the work of DPR preparation is in progress. The cost of the DPR is 950 Crore.

Point No. 02 :- Interception and diversion of sewage/Sullage drains to STP and returning completely treated water for recharging of water bodies to maintain water levels, maintaining water quality

The details as provided by BMC in **Annexure – I** are as under:

1. The sewerage network is laid down in the various part of the Bhopal city to intercept the sewage flow before discharging into Upper lake, Lower lake, Siddiki Hasan Talab, Motia Talab, Baagh Munshi Hussain Talab, Shahpura Talab and river Kaliasoot and diverted it to STPs.
2. Out of 68 drains 57 no of drains are intercepted and diverted through sewage network to the STPs. Now remaining 11 drains will be intercepted under the AMRUT -2.0 (Sewage) Scheme of the Central Government at the earliest in Bhopal city.
3. Presently 17 nos. sewage treatment plants are operative. The details of STPs are as per **Annexure-II.**
4. Sewage being treated as per the CPCB norms and treated water has utilized in flushing, gardening, agriculture purpose, fire brigade and road sweeping.

Point No.03:- Maintaining flood plain level of lakes free from any further encroachments and removing existing encroachments, as per directions given above, to enforce the law of the land

In reference to above point the details are provided by State Wetland Authority and BMC is given as under:

1. The flood plain levels of Upper lake as full tank level (FTL) and zone of influence (ZOI) are described in Environment Department, Government of Madhya Pradesh vide order dated 16.03.2022. The copy is enclosed as **Annexure-III.**
2. As per information provided by Nagar Nigam Bhopal action is being taken to restrict any further encroachment by running anti encroachment drive time to time.
3. Nagar Nigam Bhopal has identified 227 nos. of encroachments in upper lake catchment area near Bhadbhada. For shifting these habitants from the present location, BMC has offered the houses in the "housing for all" scheme of the Government of India to these residents but they refused the offer by saying that the land belong to Waqf Board. BMC is pursuing with Waqf board and SDM T.T. Nagar to certify ownership of the disputed encroached land. The copy of correspondence with Wakf board and SDM T.T. Nagar Bhopal as per **Annexure-I.** The matter of removal of these encroachments by BMC and District Administration is in progress.

Point No.04:- Regular monitoring mechanism to oversee the progress of execution in tandem with State Level Wetland Authority

In reference to above point the details are provided by State Wetland Authority and BMC is given as under.

1. To comply with the instructions of Hon'ble NGT, an interdepartmental Committee under the chairmanship of collector Bhopal is constituted by State .This committee will regularly review the progress of compliance of instructions given by Hon'ble NGT. The Committee has representation from Bhopal Nagar Nigam, State Wetland

Authority, MP PCB, EPCO, Chief Medical Officer Bhopal district, Public Health Engineering. Department and SDMs of Bhopal District. The committee will work in tandem with the state wetland Authority and Wetland conservation Rules 2017. The copy of order is enclosed as **Annexure-IV**

2. It is also submitted that to conserve and protect lakes and wetlands, GoMP Department of Environment has constituted District Wetland Conservation Committees. These committees will work under the overall guidance of State Wetland Authority.
3. GoMP has also issued a detailed order delineating the Bhoj wetland boundary, FTL and 50 meters boundary and defining the Zone of Influence. Based on these and as per the Wetland Rules and subsequent Guidelines issued by MoEFCC, Prohibited, Regulated and Permitted activities have been identified and announced.
4. The Lake Conservation Cell of Municipal Corporation Bhopal, regularly monitoring and taking action to prevent encroachment within 50 meters from the FTL. Continuous cleaning of the lakes and removing of silt from drains, plantation around periphery of lake and operation of fountains to maintain the ecosystem of lake. The interdepartmental officers meeting organized on dated 08.07.2022 in the presence of Deputy Collector minutes of meeting are enclosed as **Annexure-V**

Point No.05:- Steps for mass awareness, involving citizens in conservation programme.

For creating mass awareness among the citizens towards the conservation of water bodies of state various activities are being performed. The details are as under:-

1. The water quality parameters of different water bodies of state are being displaying through LED display board at various locations of state by MPPCB for public observation. Water quality monitoring data are also available on web portal www.mppcb.nic.in.
2. Special mass awareness programs are conducted to aware the public not to immerse the idols into the water bodies during Murti Visarjan occasion. Also as per the guidelines of CPCB separate ponds are constructed for immersion of idol during Murti Visarjan to prevent the water pollution in water bodies.
3. MPPCB conducted special awareness program and exhibitions during festivals and melas organized on the banks of rivers.
4. Sign boards are placed along the periphery of water bodies for the mass awareness.

R.K. Gupta
Executive Engineer
Nagar Nigam, Bhopal

Ashok Bisen
Executive engineer
MPPCB, Bhopal

Santosh Gupta
Superintendent Engineer
Nagar Nigam, Bhopal

Brajesh Sharma
Regional Officer
MPPCB, Bhopal

Lokendra Thakkar
Officer Incharge
State Wetland Authority

(13)

Annexure-I

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/2020 एवं 7/2018 में सुनवाई दिनांक 25.07.2022 हेतु बिंदुवार जानकारी

बिंदु क्रमांक 01 — Sewage Treatment and utilization including in-situ remediation :-

भारत सरकार की अमृत–1 (सीवेज) योजनांतर्गत भोपाल शहर में सीवेज समस्या निराकरण व शहर के बड़े तालाब, छोटे तालाब, मोतिया तालाब, सिद्दीक हसन तालाब, बागमुंशी हुसैन तालाब, शाहपुरा तालाब, कलियासोत नदी में मिलने वाले सीवेज की रोकथाम हेतु मेसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद गुजरात एंव अंकिता–नवकार–सरजीत (J.V.) को इस हेतु वर्ष मई 2018 में कुल लागत राशि रूपये 442.00 करोड़ (बिना जी.एस.टी.) की लागत से तीन कार्यादेश नगर निगम भोपाल द्वारा जारी किये गये है। जारी किये गये कार्यादेश अनुसार निम्नानुसार कार्य कराया गया है:–

तालाबों के कैचमेंट क्षेत्र में पूर्व में विभिन्न योजनाओं अंतर्गत निर्मित 15 सीवेज पंपिंग स्टेशनों के रेनोवेशन, लगभग 320 कि.मी. सीवेज नेटवर्क बिछाये जाने, 27 सीवेज पंप हाउसों एवं 09 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण का कार्य व योजनांतर्गत बिछाई गई सीवेज पाईप लाईनों से क्षेत्रीय रहवासियों के लगभग 30000 से अधिक घरों को सीवेज नेटवर्क से जोड़ा गया है। योजनांतर्गत लगभग 18000 घरों के सीवेज कनेक्शनों को सीवेज नेटवर्क से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि अमृत–1 योजना के पूर्व विभिन्न योजनाओं अंतर्गत बिछाई गई सीवेज पाईप लाईनों से लगभग 96000 घरों को जोड़ा गया है। उक्त कार्य कराये जाने से लगभग 45 प्रतिशत शहर को सीवेज नेटवर्क से जोड़ लिया गया है, शेष शहर के भाग को भारत सरकार की अमृत – 2 योजनांतर्गत राशि रूपये 952.50 करोड़ की लागत से डी.पी.आर. बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है। डी.पी.आर बनाये जाने का कार्य कंसल्टेंट वेप्कॉस लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है जिसकी अवधि 06 माह है (संलग्न कार्यादेश की प्रति)।

1. शाहपुरा प्रोजेक्टः– लागत राशि– रूपये 135.00 करोड़
   - (i) चार ईमली क्षेत्र में 4.5 एम.एल.डी, क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य।
   - (ii) जमुनिया छीर में 3.5 एम.एल.डी, क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य।
   - (iii) नीलबड़ में 6 एम.एल.डी, क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य।
   - (iv) बंसल हॉस्पिटल के पीछे 9.5 एम.एल.डी क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य।
   - (v) विभिन्न स्थानों पर कुल 13 सीवेज पंप हाउसों का निर्माण कार्य एवं
   - (vi) कैचमेंट क्षेत्र में सीवेज नेटवर्क बिछाने का कार्य– 100 कि.मी.।
2. भोजवेट लैण्ड प्रोजेक्ट :– लागत राशि –रूपये 145 करोड़
   - (i) शिरीन नाले में 5.00 एम.एल.डी क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य।
   - (ii) प्रोफेसर कालोनी में 2.00 एम.एल.डी, क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य।

(iii) माहोली दामखेड़ा क्षेत्र में 35 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य।

(iv) नवीन स्थलों पर 06 सीवेज पंप हाउसों का निर्माण कार्य।

(v) शहर में पूर्व से निर्मित 15 सीवेज पंपं हाउसों के रेनोवेशन का कार्य।

(v) कैचमेंट क्षेत्र में सीवेज नेटवर्क बिछाने का कार्य— 52 कि.मी.।

3. कोलार प्रोजेक्टः— लागत राशि —रूपय 162.00 करोड़

(i) सनखेड़ी में 32 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. निर्माण।

(ii) मक्सी में 20.50 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. निर्माण।

(iii) नवीन स्थलों पर 08 सीवेज पंप हाउसों का निर्माण एवं

(iv) कैचमेंट क्षेत्र में सीवेज नेटवर्क बिछाने का कार्य— 168 कि.मी.

बिंदु क्रमांक 02 — Interception and diversion of sewage/sullage drains to STP and returning completely treated water for recharging of water bodies to maintain water levels, maintaining water quality :-

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक एस.बी.आर. (Sequencing Batch Reactor) टेक्नोलोजी आधारित है। उक्त तकनीक से ट्रीटेड सीवेज के पानी की शुद्वता 10 बी.ओ.डी. से कम होती है एवं निकलने वाले स्लज का उपयोग नगर निगम के उद्यानिकी विभाग अंतर्गत पौधों के रोपण हेतु खाद के रूप में एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग एस.टी.पी. के आस पास के किसानों को एग्रीकल्चर उपयोग, निगम उद्यानिकी, रोड स्वीपिंग, फायर ब्रिगेड एवं जलस्त्रोतों के जल स्तर को मेन्टेन आदि कार्यो हेतु किया जा रहा है।

उक्त योजना अंतर्गत भोपाल शहर के तालाबों में मिलने वाले 68 नालों में से 57 नालों को बिछाई गई सीवेज पाईप लाईनों के नेटवर्क से जोड़ दिया गया है जिससे तालाबों में मिलने वाले दूषित जल को रोका गया है। इसके अतिरिक्त शिरीन नाले पर डायवर्सन स्ट्रकचर तथा कोटरा नाले पर सीवेज पाईप लाईन बिछाकर एवं डायवर्सन स्ट्रक्चर बनाकर सीवेज को ट्रेप किया गया है।

बिंदु क्रमांक 03 — Maintaining flood palin level of lakes free from any further encroachments and removing existing encroachments, as per directions given above, to enforce the law of the land :-

तालाबों में नागरिकों द्वारा किये गये अतिक्रमण को समय—समय पर अतिक्रमण मुहिम चलाकर हटाया जाता है। वर्तमान में भदभदा के पास काफी वर्षो पूर्व निर्मित लगभग 227 चिन्हित किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन की ओर से कार्यवाही प्रचलन में है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त स्थल के रहवासियों को भारत

सरकार की योजना हाउसिंग फॉर ऑल अंतर्गत निर्मित भवनों में विस्थापित किये जाने हेतु सर्वे का कार्य निगम स्तर पर किया गया है परंतु मौके पर रहवासियों द्वारा उक्त भूमि को वक्फ बोर्ड की भूमि बताकर विस्थापित होने से मना किया गया है। इस संबंध में निकाय द्वारा वक्फ बोर्ड एवं अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त को भूमि के स्वामित्व संबंधी निराकरण हेतु पत्राचार किया गया है।

बिंदु कमांक 04 – Regular Monitoring mechanism to oversee progress of execution in tandem with state level wetland authority :-

नगर निगम भोपाल द्वारा गठित झील संरक्षण प्रकोष्ठ अमले द्वारा तालाबों का निरंतर निरीक्षण कर तालाब के किनारें एफ.टी.एल. से 50 मी. के दायरे में होने वाले अतिकमण की रोकथाम, तालाबों की निरंतर साफ–सफाई, पर्यावरण के दृष्टि से वृक्षारोपण कार्य व तालाबों के ईको सिस्टम को बनाये रखने हेतु फाउंटेन लगाये जाने, इनके संधारण का कार्य एवं समय–समय पर नालों में एकत्रित सिल्ट को निकालने का कार्य किया जाता है।

बिंदु कमांक 05 – Steps for mass awareness, involving citizens in conservation programme :-

नगर निगम भोपाल झील संरक्षण प्रकोष्ठ तालाबों के किनारें पूजन सामग्री विर्सजित किये जाने हेतु कुण्डों का निर्माण, लोगों को जागरूक सांकेतिक बोर्ड स्थापित करने का कार्य, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एप्को के साथ सामंजस्य स्थापित कर पर्यावरण दिवस एवं अन्य प्रकार के जन जागरण से संबंधित कार्यक्रम जन भागीदारी के माध्यम से आयोजित किये जाते है। इसी प्रकार भोपाल शहर में होने वाले तीज त्यौहारों अंतर्गत मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम वार्ड स्तर पर कराया जाकर इन प्रतिमाओं का म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों अनुसार निष्पादन किया जाता है।

AE
सहायक यंत्री
झील संरक्षण प्रको०
नगर निगम भोपाल

आर.के. गुप्ता
कार्यपालन यंत्री (सी०)
नगर निगम, भोपाल

16

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम रेस्ट हाउस, श्यामला हिल्स भोपाल

क्र. ....118..... / अधी.यंत्री. / झी.सं.प्रको. / 2022–23   भोपाल दिनांक..........7/7/22

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
टी.टी. नगर वृत्त,
भोपाल म.प्र.

विषयः– 100 वर्ष पुरानी भदभदा भोपाल के पास स्थित आवादियों को भू– माफियों के इशारे पर ग्रीन वेल्ट बताते हुए हटाने के संवंध में ।

संदर्भः– 1. कलेक्टर कार्या. का पत्र क. 5455 / शिकायत / 2021 भो. दिनांक 31.12.2021 ।
2. अपर आयुक्त कक्ष का पत्र क. 315 भोपाल दिनांक 20.01.2022 ।
3. इस कार्यालय का पत्र क 09 / अ.यं. / झी.सं.प्र. / दिनांक 11.04.2022 ।

––0––

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क. ओ.एन. 77 / 20 (सी.जेड) आर्या श्रीवास्तव विरूद्व यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश के परिपालन में बड़े तालाव के किनारें तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन के दृष्टिगत भदभदा के पास स्थित झुग्गियों के विस्थापन कार्य हेतु ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद प.ह.न. 40 खसरा कमांक 262, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271, 297, 282, 284, 291, 292, 293, 296, 301, 305, 306, 307, 130 एवं 131 के खसरों के स्वामित्व संवंधी जानकारी (राजस्व रिकार्ड अनुसार) चाही गई है परंतु वांछित जानकारी अभी तक प्राप्त नही हुई है।

अतः पुनः आग्रह है कि वांछित जानकारी यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल को सुनवाई दिनांक 25.07.2022 को अवगत कराया जा सके।

07/7/22

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल
भोपाल दिनांक......7/7/22

पृ.क्र.......119....... / अधी.यंत्री. / झी.सं. प्रको. / 2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ ।
2. अपर आयुक्त (अतिकमण शाखा) नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ ।
3. कार्यपालन यंत्री, झील संरक्षण प्रकोष्ठ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7/7/22

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
झील संरक्षण प्रकोष्ठ

7/7/22

(17)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

झील संरक्षण प्रकोष्ठ

नगर निगम रेस्ट हाउस, श्यामला हिल्स भोपाल

क्र. ....116..../अधी.यंत्री./झी.सं.प्रको./2022—23 भोपाल दिनांक.....7/7/22

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयप्रकाश चिकित्सालय
भोपाल

विषयः— माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण कमांक 7/2018 (एम. वाय चौधरी व अन्य) एवं प्रकरण कमांक 77/2020 (सी.जेड.) आर्या श्रीवास्तव व अन्य के संवंध में।

संदर्भः— आयुक्त कक्ष न.नि. भोपाल का पत्र क. 429 भोपाल दिनांक 23.03.2022।
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 07 भोपाल दिनांक 11.04.2022।

—-0—-

कृपया संदर्भित का अवलोकन करें। पत्रानुसार भोपाल शहर के मोतिया तालाव एवं सिद्दीक हसन तालाब के किनारें स्थित निजी अस्पतालों/क्लीनिकक्स/पैथालॉजिकल लेब्स आदि द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट एवं सीवेज की रोकथाम हेतु पर्याप्त व्यवस्था न करने के कारण इन निजी संस्थाओं पर नगर निगम भोपाल द्वारा जुर्माने की राशि अधिरोपित कर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड में राशि जमा कराये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये थे। बावजूद इसके इन संस्थाओं द्वारा अभी तक जुर्माने की अधिरोपित राशि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा नही कराई गई है।

संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त सभी निजी संस्थाओं पर कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः पुनः आग्रह है कि इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें ताकि माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल को इस संबंध में अवगत कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 25.07.2022 को नियत है।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

पृ.क्र.......117......./अधी.यंत्री./झी.सं. प्रको./2021 भोपाल दिनांक.....7/7/22

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त (अतिकमण शाखा) नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. कार्यपालन यंत्री, झील संरक्षण प्रकोष्ठ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
झील संरक्षण प्रकोष्ठ

o/c
7/7/22

(18)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

झील संरक्षण प्रकोष्ठ

नगर निगम रेस्ट हाउस, श्यामला हिल्स भोपाल

क्र. 120 /अधी.यंत्री./झी.सं.प्रको./2022–23 भोपाल दिनांक 7/7/22

प्रति,

1. कार्यपालन यंत्री
   सीवेज अमृत एवं झील संरक्षण
   नगर निगम भोपाल

2. कार्यपालन यंत्री
   सीवेज संधारण
   नगर निगम भोपाल

विषयः– माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण कमांक 7/2018 (एम. वाय चौधरी व अन्य) एवं प्रकरण कमांक 77/2020 (सी.जेड.) आर्या श्रीवास्तव व अन्य के संबंध में।

संदर्भः– 1. इस कार्यालय का पत्र क. 471/अधी.यं/भोपाल दिनांक 19.01.2022।
2. इस कार्यालय का पत्र क. 496/अधी.यं/भोपाल दिनांक 23.02.2022।
3. आपका पत्र क 836/का.यं./झी.सं.प्र./दिनांक 02.03.2022।
4- मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल द्वारा सुनवाई दि. 28.02.2022 को दिये गये आदेश।
5- इस कार्यालय का पत्र कमांक 397/अधी.यं./भोपाल दि. 04.03.2022।

--0--

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरणों अन्तर्गत आपसे संबंधित कार्य समय–सीमा में पूर्ण कराये जाने व की जाने वाले कार्यवाही का एक्शन प्लान मय मानचित्र उपलब कराने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर लेकर आपसे संबंधित कार्य को समय–सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। एवं की कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय सीमा में जानकारी उपलब्ध करावें ताकि माननीय एन.जी.टी. में सुनवाई दिनांक 25.07.2022 को जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

पृ.क्र. 121 /अधी.यंत्री./झी.सं. प्रको./2021 भोपाल दिनांक 7/7/22

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ ।
2. अपर आयुक्त (अतिक्रमण शाखा) नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ ।
3. सहायक यंत्री, झील संरक्षण प्रकोष्ठ नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
झील संरक्षण प्रकोष्ठ

O/C

7/7/22

संतोष
7/7/22

(19)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

झील संरक्षण प्रकोष्ठ

नगर निगम रेस्ट हाउस, श्यामला हिल्स भोपाल

भोपाल दिनांक 2/7/22

क्र. 114 /अधी.यंत्री./झी.सं.प्रको./2022–23

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र.वक्फ बोर्ड, भोपाल।

विषयः– 100 वर्ष पुरानी भदभदा भोपाल के पास स्थित आवादियों को भू– माफियों के इशारे पर ग्रीन वेल्ट वताते हुए हटाने के संबंध में ।

संदर्भः–
1. कलेक्टर कार्यालय का पत्र कमांक 5455/शिकायत/2021/भोपाल दिनांक 31.12.2021।
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 315/अ.आ.क/न.नि.भो./भोपाल दिनांक 20.01.2022.
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक 361/अ.आ.क/न.नि.भो./भोपाल दिनांक 17.02.2022
4. माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण कमांक 77/20 (सी.जेड.) में पारित 5. आदेश के अनुपालन में।
5. अपर आयुक्त कक्ष का पत्र कमांक 377 भोपाल दिनांक 23.02.2022।
6. इस कार्यालय का पत्र कमांक 11/अ.यं./न.नि.भो./2022 भोपाल दि. 11.04.2022

––0––

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्राधिकरण में प्रचलित प्रकरण क. ओ.एन. कमांक 77/20 (सी.जेड.) मेसर्स आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश के परिपालन में वड़े तालाव के किनारे भदभदा के पास स्थित झुग्गियों का विस्थापन कार्य किया जाने हेतु ग्राम कोटरा सुल्तानावाद प.ह.न. 40, खसरा नंवर 262, 263, 264, 266, 26, 268, 270, 271, 297, 282, 284, 291, 293, 296, 301, 305, 306, 307, 130, 131 एवं 292 के खसरे के स्वामित्व से संवंधित जानकारी आपसे चाही गई थी परंतु वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आग्रह है कि वांछित जानकारी यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल को सुनवाई दिनांक 25.07.2022 को अवगत कराया जा सके।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल
भोपाल दिनांक 7/7/22

पृ.क्र. 115 /अधी.यंत्री./झी.सं. प्रको./2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ ।
2. अपर आयुक्त (अतिकमण शाखा) नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ ।
3. कार्यपालन यंत्री, झील संरक्षण प्रकोष्ठ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
झील संरक्षण प्रकोष्ठ

O/C
7/7/22

Annexure-II

Details of each existing STP in the RO Bhopal

S. No.	Location	Existing STP Capacity	Capacity Being Utilized (monthly avg.)	Operational Status of STP	Compliance Status of STP
1.	STP Maholi Damkheda (Cap. - 35MLD) Kh.No. 209,Maholi Damkheda, Itkhedi Sadak, Bhopal	35.00 MLD	4.58 MLD	Operational	New SBR based STP. Operational, Complying
2.	STP Badwai (Cap.- 16.67MLD) Village Badwai, NH 12, Bhopal	16.67 MLD	17.01 MLD	Operational	Existing WSP Operational, complying.
3.	STP Bawadiya Kalan (Cap.-13.56MLD) Kh. no. 252/1; PH no. 45, Near Meera Nagar Jhuggi Basti, Shahpura, Bhopal	13.56 MLD	12.18 MLD	Operational	Existing WSP Operational, complying.
4.	STP Gondarmau (Cap.- 2.36 MLD) Gondarmau, Airport Road, Bhopal	2.36 MLD	2.2 MLD	Operational	Existing WSP Operational, complying.
5.	STP Mata Mandir (Cap. - 4.56 MLD) Kh. No. 1493, Mata Mandir, T.T. Nagar, Bhopal	4.56 MLD	2.4 MLD	Operational	Existing WSP, trickling filter. Operational, complying.
6.	STP Kotra (Cap. - 10 MLD) KotraSinghpur, Bhadbhada road, Bhopal	10.00 MLD	7.9 MLD	Operational	Existing WSP Operational, complying.
7.	Bhopal BHEL Barkheda (4.50 MLD)	4.50 MLD	0.61 MLD	Operational	SBR based STP. Operational& Complying
8.	Bhopal BHEL, Piplani (2.27 MLD)	2.27 MLD	0.44 MLD	Operational	Conventional STP. Operational& Complying

9.	STP Ekant Park	2 MLD	2.0 MLD	Operational	Operational and complying.
10.	STP Shirin River Kh. No. 147/69 Beside Koh-e-fiza Square, VIP Road, Bhopal	5 MLD	4.46 MLD	Operational	New SBR based STP. Operational &Complying.
11.	STP Neelbad, BMC	6 MLD	2.44 MLD	Operational	New SBR based STP. Operational and complying.
12.	STP Sankhedi, BMC	32 MLD	7.83 MLD	Operational	New SBR based STP. Operational and complying.
13.	STP Char Imli, BMC	4.5 MLD	1.83 MLD	Operational	New SBR based STP. Operational and complying.
14.	STP Bansal Hospital Kh. No. 61, Behind Bansal Hospital, Chuna Bhatti, Bhopal	9.5 MLD	Recently Started	Operational	New SBR based STP. Operational and complying.
15.	STP Misrod, Misrod, Bhopal	20.5 MLD	Recently Started	Operational	New SBR based STP. Operational and complying.
16.	Professor Colony, Bhopal	2 MLD	Recently Started	Operational	New SBR based STP. Operational and complying.
17.	Jamunia Jheer (Kalukhedi), Bhopal	3.50 MLD	Recently Started	Operational	New SBR based STP. Operational and complying.

Note: All the above data is provided by the concerned ULB.

Annexure – III

(22)

म. प्र. शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 16 मार्च,2022

आदेश क्र 32/233 /2022/32-3-भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (V) और उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेटलैण्ड नियम 2017 अधिसूचित किये गये हैं।

1. वेटलैण्ड नियम 2017 की धारा 3 (क) अनुसार वेटलैण्ड भोज वेटलैण्ड जो कि एक रामसर साइट है पर वेटलैण्ड नियम 2017 प्रभावशील हैं। नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence (Zol) के आवश्यक – मानचित्र क्र.1, मानचित्र क्र.2 एवं मानचित्र क्र.3 जो इस आदेश के साथ परिशिष्ट अ- पर संलग्न है का अनुमोदन राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की दिनांक 01 फरवरी 2022 को संपन्न बैठक में किया गया है। इन मानचित्रों के आधार पर वेटलैण्ड नियम 2017 एवं मार्गदर्शिका में उल्लेख अनुसार वेटलैण्ड के भीतर एवं वेटलैण्ड बाउण्ड्री से 50 मी. की सीमा एवं इसके Zol में Prohibited, Regulated & Permitted गतिविधियों के निर्धारण के संबंध में भी अनुशंसा की गयी है।
2. उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा भोज वेटलैण्ड की Full Tank Level (FTL) बाउण्ड्री एवं उससे 50 मी. की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र एवं Zol को दर्शानेवाले मानचित्र क्र. 1, 2 एवं 3 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त मानचित्रों के आधार पर भोज वेटलैण्ड का FTL पर क्षेत्रफल 3946.33 ha. (बड़ा तालाब 3872.43 ha. + छोटा तालाब 73.90 ha.) निर्धारित हुआ है की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. भोज वेटलैण्ड एवं इसके Zol में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा कोलांस नदी एवं उनसे मिलने वाले नदी नालों (Major & Minor Streams) की दूरियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किये जाते हैं -
   i. शहरी क्षेत्र की ओर BWL के FTL के आसपास 50मी .का बफर – **मानचित्र क्र.1**
   ii. ग्रामीण क्षेत्र की ओर BWL के FTL के आसपास 250मी .बफर– **मानचित्र क्र. 2**
   iii. कोलांस नदी के आसपास 250मी .बफर – **मानचित्र क्र.3**
   iv. कैचमेंट प्रमुख स्ट्रीम के आसपास 50मी .बफर – **मानचित्र क्र.3**
   v. कैचमेंट के माइनर स्ट्रीम के आसपास 09मी .बफर – **मानचित्र क्र.3**
4. वेटलैण्ड के अन्दर, FTL से 50 मी. की दूरी में एवं Zol में Prohibited, Regulated & Permitted गतिविधियों को निम्नानुसार प्रभावी किया जाता है -

A. प्रतिबंधित गतिविधियां (Prohibited Activities)

वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zol में Prohibited गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है। भोज वेटलैण्ड के Full Tank level (FTL) से 50 मी. तक निर्माण व अन्य गतिविधियां निम्नानुसार पूर्णत: प्रतिबंधित की जाती हैं –

i. Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;	i. किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर वेटलैण्ड उपयोग हेतु परिवर्तन
ii. Setting up of any industry and expansion of existing industries;	ii. किसी भी उद्योग को स्थापित करना एवं विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना
iii. Manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered	iii. निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण

Sd/-

under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016; iv. Solid waste dumping; v. Discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements; vi. Any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres (50) from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and, vii. Poaching.	और अपशिष्ट का विनिर्माण या निपटान, परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भण्डारण और आयात निर्माण नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात, और भण्डारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, और सीमा पार संचालन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ, ई- अपशिष्ट, (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले ई- अपशिष्ट iv. ठोस अपशिष्ट का निष्पादन ; v. उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों, से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्रावों का निष्पादन vi. किसी भी स्थायी प्रकृति का निर्माण सिवाय नाव घाटों के, तालाब के 50 मीटर के भीतर प्रतिबंधित रहेंगे। vii. अवैध शिकार

B. विनियमित गतिविधियां (Regulated Activities)-

नगर निगम, भोपाल द्वारा भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence में मलजल उपचार संयंत्र / सीवेज पंप हाउस (STP/SPH) स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को विनियमित गतिविधियों में सम्मलित किया जाता है। वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके ZoI में Regulated गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है -

i. Subsistence level biomass harvesting (including traditional practices); ii. Sustainable culture fisheries practices (in private lands); iii. Plying of non-motorized boats; iv. Desilting, in case where wetlands inflow regimes and water-holding capacity are impacted by siltation (note that 'deepening' activities are not the same as 'desilting'); & v. Construction of temporary nature vi. Construction of STP/SPH by Municipal Corporation, Bhopal	i. जीवन निर्वाह योग्य मात्रा में बायोमास निकालना (परंपरागत तरीकों सहित) ii. संधारित मछलीपालन iii. गैर – मोटर चालित नावों का संचालन iv. डीसिल्टिंग-डिवीडिंग करते समय यह ध्यान रखा जाए कि वेटलैण्ड के जल स्रोत एवं जल ग्रहण क्षमता में कोई प्रभाव न हो (नोट-तालाब गहरीकरण एवं डीसिल्टिंग दो अलग-अलग क्रियाकलाप हैं)। v. अस्थाई प्रकृति के निर्माण। vi. नगर निगम, भोपाल द्वारा मलजल उपचार संयंत्र/सिवेज पम्प हाउस का निर्माण।

C. अनुज्ञात गतिविधियां (Permitted Activities)-

वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके ZoI में Permitted गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा जारी वेटलैण्ड नियम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (15-.क्र .पृ) 2020 अनुसार ऐसी गतिविधियां जिनके कारण वेटलैण्ड के Wise Use की परिकल्पना साकार होती है, वेटलैण्ड एवं ZoI में Permit की जा सकती हैं। उपरोक्त मार्गदर्शिका अनुसार निम्नलिखित गतिवधियां भोज वेटलैण्ड और उसके ZoI में Permitted Activities की श्रेणी में होंगी – i. Ecological rehabilitation and rewilding of nature; ii. Wetlands inventory, assessment and monitoring; iii. Research; iv. Communication, environmental education and participation activities; v. Management planning; vi. Habitat management and conservation of wetland-dependent species; vii. Community-based ecotourism (with minimum construction activities); viii. Harvesting of wetlands products within regenerative capacity; and, ix. Integrating wetlands as nature-based solutions for climate change mitigation and adaptation.	i. पारिस्थितिक पुनर्वास एवं प्रकृति का पुनर्निमाण ii. वेटलैण्ड इंवेन्ट्री मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग iii. शोध कार्य iv. संप्रेषण, पर्यावरण शिक्षा और जन-भागीदारी कार्यकलाप v. प्रबंधन नियोजन vi. वेटलैण्ड आधारित पक्षियों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक रहवास का प्रबंधन vii. समुदाय आधारित ईको-टूरिज्म (कम से कम निर्माण गतिविधियां सहित) viii. पुनर्योजी क्षमता अनुसार वेटलैण्ड के प्राकृतिक उत्पादों का संतुलित दोहन ix. जलवायु परिवर्तन समस्या के निदान के लिए प्राकृतिक संसाधन आधारित अनुकूलन एवं शमन हेतु वेटलैण्ड का एकीकरण

भोज वेटलैंण्ड परियोजना अंतर्गत मानचित्र,प्रतिबंधित गतिविधियां,विनियमित गतिविधियां एवं अनुज्ञात गतिविधियों के संबंध में प्रशासकीय आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

म. प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग

पृ. क 303/ 233 /2022/32-3 भोपाल, दिनांक 16 मार्च,2022

1. विशेष सहायक़, माननीय मंत्री पर्यावरण विभाग म. प्र. शासन
2. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म. प्र. शासन
3. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, लो. स्वा. यां. विभाग
5. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, कृषि विभाग

(25)

6. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
7. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
8. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग
9. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग
10. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, वन विभाग
11. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग
12. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पर्यटन विभाग
13. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
14. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (वेटलैण्ड डिवीजन), नई दिल्ली।
15. संभागायुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
16. सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एप्को, भोपाल
17. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल
18. आयुक्त, सह संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल
19. कलेक्टर, जिला, भोपाल एवं सीहोर
20. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल
21. नियंत्रक, शास. केन्द्रीय मुद्रणालय मैदा मिल, भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
22. उप संचालक, प्रेस प्रकोष्ठ, जन संपर्क, भोपाल।
23. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

अवर सचिव
म. प्र. शासन
पर्यावरण विभाग

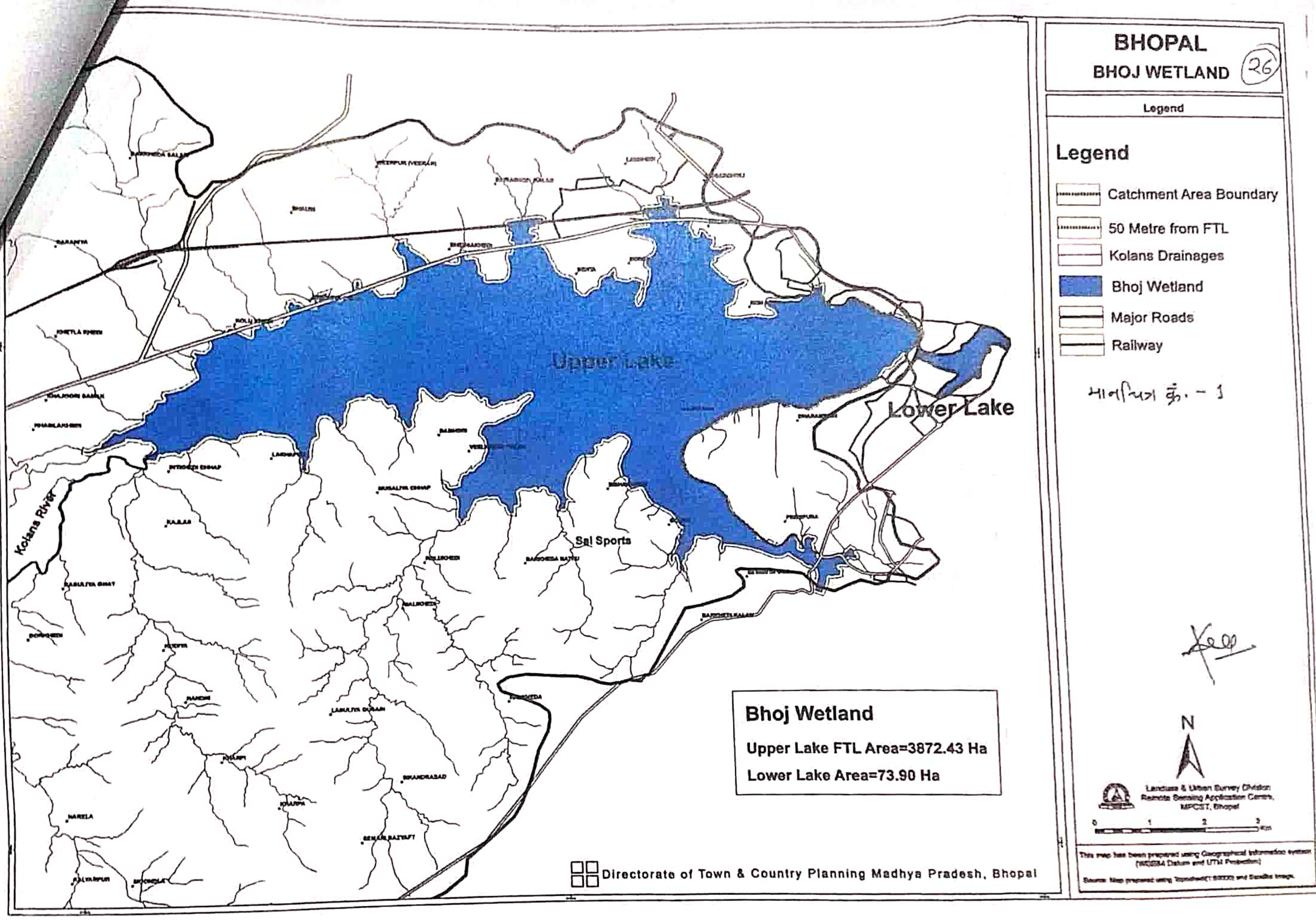
BHOPAL
BHOJ WETLAND
26
Legend
Legend
Catchment Area Boundary
50 Metre from FTL
Kolans Drainages
Bhoj Wetland
Major Roads
Railway
मानचित्र क्रं. - 1
Upper Lake
Lower Lake
Sai Sports
Kolans River
Bhoj Wetland
Upper Lake FTL Area=3872.43 Ha
Lower Lake Area=73.90 Ha
N
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

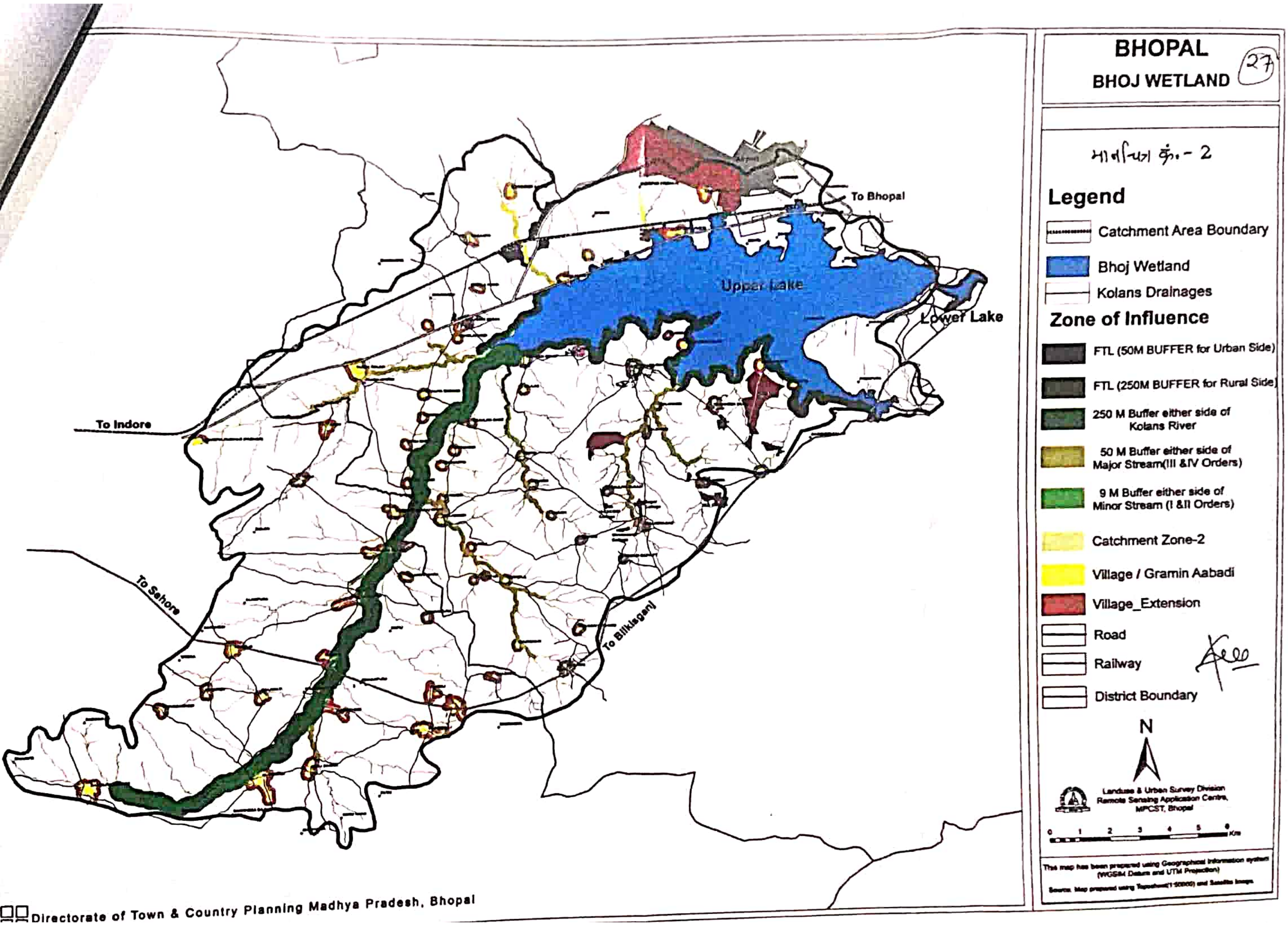

BHOPAL
BHOJ WETLAND
27
मानचित्र क्रं.- 2
Legend
Catchment Area Boundary
Bhoj Wetland
Kolans Drainages
Zone of Influence
FTL (50M BUFFER for Urban Side)
FTL (250M BUFFER for Rural Side)
250 M Buffer either side of Kolans River
50 M Buffer either side of Major Stream(III &IV Orders)
9 M Buffer either side of Minor Stream (I &II Orders)
Catchment Zone-2
Village / Gramin Aabadi
Village_Extension
Road
Railway
District Boundary
N
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Upper Lake
Lower Lake
To Bhopal
To Indore
To Sehore
To Bilkisganj
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

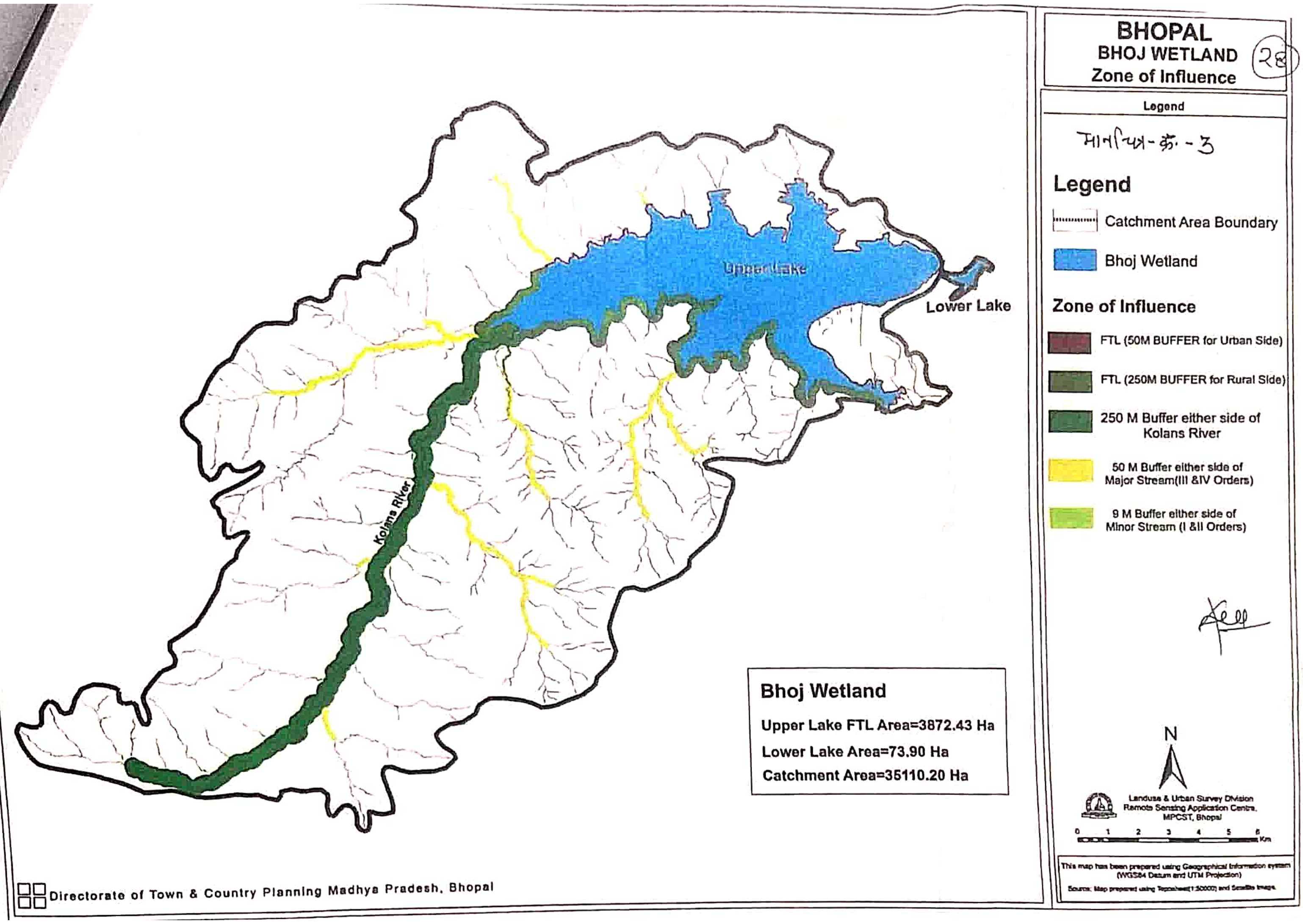
BHOPAL
BHOJ WETLAND
Zone of Influence
(28)
Legend
मानचित्र-क्र.-3
Legend
Catchment Area Boundary
Bhoj Wetland
Zone of Influence
FTL (50M BUFFER for Urban Side)
FTL (250M BUFFER for Rural Side)
250 M Buffer either side of Kolans River
50 M Buffer either side of Major Stream(III &IV Orders)
9 M Buffer either side of Minor Stream (I &II Orders)
Upper Lake
Lower Lake
Kolans River
Bhoj Wetland
Upper Lake FTL Area=3872.43 Ha
Lower Lake Area=73.90 Ha
Catchment Area=35110.20 Ha
N
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre,
MPCST, Bhopal
0 1 2 3 4 5 6 Km
This map has been prepared using Geographical Information system
(WGS84 Datum and UTM Projection)
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

BHOPAL
BHOJ WETLAND
DEM

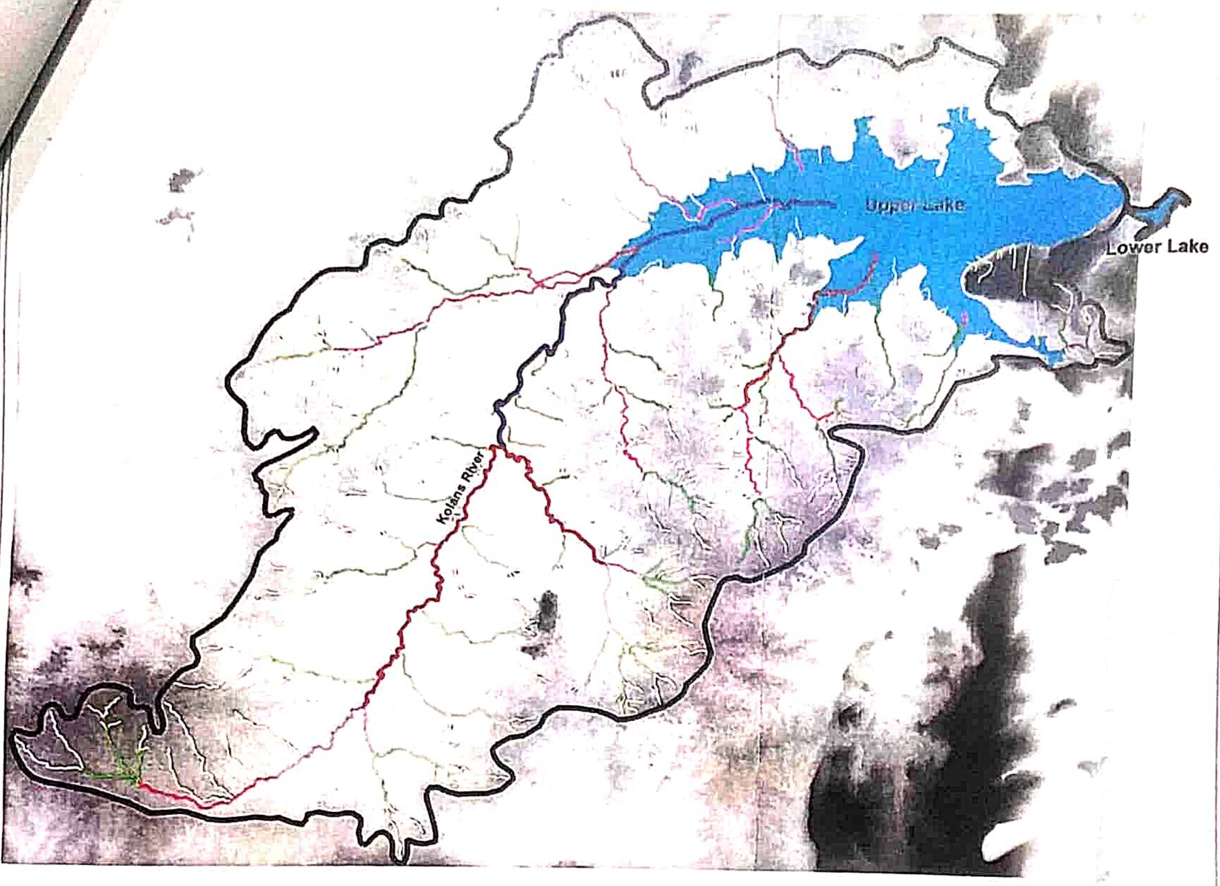

Legend

मानचित्र क्रं.- 3

Legend

Catchment Area Boundary

Bhoj Wetland

Kolans Drainage Order

V Order

IV Order

III Order

II Order

I Order

Digital Elevation Model

Value

High : 578

Low : 399

N

Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre,
MPCST, Bhopal

0 1 2 3 4 5 6 Km

This map has been prepared using Geographical Information system
(WGS84 Datum and UTM Projection)

Source: Map prepared using Toposheet(1:50000) and Satellite image.

Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

Annexure-IV

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

–: आदेश :–

भोपाल, दिनांक 03 / 03 / 2022

क्रमांक / 262 / 234 / 2022 / 32–3:– पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत शासन द्वारा वेटलैण्ड नियम 2017 लागू किये गये हैं। वेटलैण्ड नियम 2017 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा दिनांक 02.01.2018 को राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख नियमों की कंडिका 5 (4) में दिया गया है।

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 01.02.2022 में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के समस्त जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति (District Wetland Conservation Committee) का गठन किया जाए। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जिलों में जिला वेटलैण्ड संरक्षण समितियों का गठन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है। समितियों की संरचना, कर्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार है–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	जिला वन मंडलाधिकारी	सदस्य
4.	जिला भू–बंदोबस्त अधिकारी	सदस्य
5.	अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री, लोक स्वा. या.	सदस्य
6.	अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग	सदस्य
8.	संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
9.	संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक कृषि विभाग	सदस्य
10.	संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक पशुपालन विभाग	सदस्य
11.	संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक मछली पालन विभाग)	सदस्य
12.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
13.	नदी, तालाब संरक्षण से संबंधित इसके विशेषज्ञ (महाविद्यालय के प्रोफेसर, जनता के प्रतिनिधि, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कार्य करने वाले इत्यादि) (अधिकतम – 02 सदस्य)	नामांकित सदस्य
14.	म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एप्को, पर्यावरण विभाग भोपाल के अधिकारी	सदस्य
15.	प्रोजेक्ट आफीसर जिला पंचायत .	सदस्य सचिव

कर्तव्य / दायित्व –

1. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होगी एवं उसकी सहयोगी इकाई के रूप में कार्य करेगी।
2. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले में वेटलैण्ड नियम 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को सहयोग प्रदान करेगी।
3. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति का मुख्य कर्तव्य जिला स्तर पर तालाबों के समग्र संरक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में समुचित कार्यवाही करना है।
4. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले में म. प्र. सरकार एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में वेटलैण्ड संरक्षण से संबंधित संचालित योजनाओं यथा NPCA एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं निगरानी में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का सहयोग करेगी।
5. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले के किसी तालाब के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित सुझाव एवं तकनीकी प्रस्ताव राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रेषित कर सकेगी।
6. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अथवा स्वयं अपने स्तर पर चिन्हित किसी तालाब के संक्षिप्त प्रतिवेदन (Brief Document) बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

7. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, अपने जिले के तालाबों के संबंध में समस्त जानकारी एकत्र करेगी एवं डेटाबेस तैयार कर उसके संधारण के लिए उत्तरदायी होगी।
8. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले में चिन्हित डिजिटल वेटलैण्ड इन्वेन्ट्री के अनुसार जिले में चिन्हित तालाबों की पहचान एवं उसकी मैदानी स्तर पर पुष्टि हेतु उत्तरदायी होगी।
9. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले के पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तालाबों की सूची बनायेगी एवं उसके पारिस्थितिकीय लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु सतत् प्रयास एवं उपाय करेगी।
10. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले के तालाबों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु उपस्थित चुनौतियों का चिन्हांकन करेगी एवं उनके निराकरण हेतु प्रयास करेगी एवं उपाय सुझाएगी।
11. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले में तालाबों के संरक्षण से जुड़े संबंधित विभागों एवं हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी।
12. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के सुचारू संचालन हेतु अपने जिले से संबंधित सलाह एवं परामर्श देने का कार्य करेगी।
13. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, वेटलैण्ड, तालाबों, नदी एवं अन्य जल स्रोतों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विषयों पर व्यापक जन–चेतना, नागरिक जागरूकता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास हेतु समय–समय पर विश्व वेटलैण्ड्स दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस इत्यादि विशेष अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करेगी।
14. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, आवश्यकता होने पर जिला स्तर पर तकनीकी एवं वैज्ञानिक कार्यों के लिए अन्य विशेषज्ञों को अपने विवेक से मनोनीत कर सकेगी।

म. प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
म. प्र. शासन
पर्यावरण विभाग

पृष्ठां क./ 263 /234/2022/32–32 भोपाल, दिनांक 09/03/2022

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री पर्यावरण विभाग म. प्र. शासन
2. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म. प्र. शासन
3. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन, लो. स्वा. यां. विभाग, कृषि विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
4. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (वेटलैण्ड), नई दिल्ली
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल
7. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
8. सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एप्को, भोपाल
9. आयुक्त, सह संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
11. नियंत्रक, शास. केन्द्रीय मुद्रणालय मैदा मिल, भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ
12. उप संचालक, प्रेस प्रकोष्ठ, जन संपर्क, भोपाल

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
म. प्र. शासन
पर्यावरण विभाग

Annexure-V

कार्यालय, कलेक्टर (लिटिगेशन), भोपाल

कमांक / 557 / लिटीगेशन / 2022 भोपाल, दिनांक 12/07/2022

प्रति,

1. कार्यपालन संचालक एप्को एवं सदस्य
   सचिव,राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण
   पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा
   कालोनी भोपाल
2. अपर ,कलेक्टर
   जिला भोपाल
3. आयुक्त
   नगर निगम भोपाल
4. मुख्य अभियंता , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   भोपाल
5. मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग
   भोपाल
6. क्षेत्रीय अधिकारी
   म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   भोपाल

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बैंच द्वारा याचिका O.A कमांक 07 / 2018 एम0वाय0 चौधरी विरूद्व म0प्र0शासन व अन्य एवं 77 / 2020 आर्या श्रीवास्तव विरूद्व भारत सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 8 / 07 / 2022 में हुई बैठक का कार्यवाही विवरण प्रेषित ।

––00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बैंच भोपाल द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 16.03.2022 के पालन मे दिनांक 08 / 07 / 2022 में हुई बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर आपकी ओर संलग्न प्रेषित है ।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर भोपाल

कार्यवाही विवरण

एनजीटी प्रकरण 07/2018 एवं 77/2020 में दिनांक 28 फरवरी 2022 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 08/07/2022 को कार्यालय कलेक्टर, भोपाल के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई । बैठक पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 17/03/2022 के परिपेक्ष्य में अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु आयोजित की गई । बैठक में सीवेज उपचार एवं उसका उपयोग, सीवेज का इंटरसेप्शन एवं डायवर्सन, जलस्रोतों की रिचार्जिंग, तालाबों के आस–पास अवैध निर्माण को रोकने, तालाबों में भूजल स्तर बनाये रखना तथा राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही के मॉनिटरिंग मैकेनेजिम तथा जनजागृति हेतु कार्यकमों के संबंध में विभागवार चर्चा की गई । बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है ।

बैठक में हुई चर्चा का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :–

1. राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बैठक में बताया गया कि प्रदेश के विभिन्न तालाबों के संरक्षण हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 08/03/2022 को जिला वेटलेण्ड संरक्षण समिति का गठन किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं (संलग्नक–1) ।
2. बैठक में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि भोपाल शहर में अमृत योजना के तहत् शहर में सीवेज लाईन बिछाई गई है, 09 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है, 27 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा इस योजना में 96000 मकानों के घरेलू दूषित जल का उपचार किया जावेगा । तत्संबंध में नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संलग्न है (संलग्नक–2) । भोपाल शहर में अमृत योजना–2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसकी लागत 950 करोड है । इस योजना में शहर की शेष सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को सम्मिलित किया जावेगा ।
3. बैठक में नगर निगम द्वारा बताया गया कि बड़े तालाब के किनारे भदभदा के समीप 227 अवैध निर्माण (घरों) को चिन्हित किया गया है एवं इन घरों को जिला प्रशासन के माध्यम से स्वत्व संबंधी जांच कराई जाकर विस्थापित करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। इस संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया ।

4. नदी एवं तालाबों की जल गुणवत्ता को बनाये रखने के संबंध में जनजागृति कार्यक्रम पर बैठक में चर्चा हुई । मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम द्वारा तत्संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई ।

बैठक में निर्णय पारित किया गया कि उपरोक्तानुसार एनजीटी प्रकरण 07/2018 एवं 77/2020 में दिनांक 28 फरवरी 2022 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग समस्त जानकारी तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ।

धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

....

एनजीटी प्रकरण 07/2018 एवं 77/2020 में दिनांक 28 फरवरी 2022 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 08/07/2022 को कार्यालय कलेक्टर, भोपाल के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

---

1. सुश्री अंकिता त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, भोपाल।
2. श्री संतोष गुप्ता, अधीक्षण यंत्री, नगर निगम, भोपाल।
3. श्री लोकेन्द्र ठक्कर, प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, भोपाल।
4. श्री बृजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
5. श्री ए.के. बिसेन, कार्यपालन यंत्री, क्षे.का. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
6. श्री आर.के. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम भोपाल।
7. श्री सचिन साहू, सहायक यंत्री, नगर निगम, भोपाल।